



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2012/चैत्र 10, 1934

No. 79]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2012/CHAITRA 10, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सं. एल-1/106/2012-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से; अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्बंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 या उसकी पश्चात्तवर्ती अधिनियमित के अनुसार टैरिफ के अवधारण के लिए अधिनियम की धारा 64 के अधीन उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा फाइल की गई टैरिफ याचिकाएं अभिप्रेत हैं और सम्मिलित हैं;

(ग) "टैरिफ को स्वीकार करने के लिए आवेदन" से उस टैरिफ को स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया आवेदन अभिप्रेत है और सम्मिलित है जिसको अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से तय किया गया हो;

- (घ) "वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार " से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए (जिसमें रजिस्ट्रीकरण को जारी रखा जाना भी सम्मिलित है) पावर एक्सचेंजों द्वारा संदेय वार्षिक प्रभार अभिप्रेत है;
- (ङ) "आयोग " से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (च) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, "अंतर-राज्यिक व्यापार " से किसी एक राज्य राज्यक्षेत्र के भीतर किसी दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर पुनः बिक्री के प्रयोजन के लिए अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी भी है, द्वारा विद्युत का क्रय अभिप्रेत है तथा इसमें भारत में किसी राज्य में उसकी पुनः बिक्री के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत भी सम्मिलित है;
- (छ) "निरीक्षण फीस " से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 या उसकी किसी अधिनियमित के उपबंधों के अनुसार आयोग के न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रभारित फीस अभिप्रेत है;
- (ज) "अंतर्वर्ती आवेदन " या "आईए" से आयोग के समक्ष पहले से ही संस्थित किसी याचिका या कार्यवाही में फाइल किया गया आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें पुनर्विलोकन के लिए आवेदन सम्मिलित नहीं है;
- (झ) "प्रकीर्ण आवेदन " से अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए किन्हीं विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन आयोग के समक्ष फाइल किया गया आवेदन या याचिका अभिप्रेत है किन्तु इसमें टैरिफ के अवधारण या उसे स्वीकार करने या अनुज्ञप्ति प्रदान करने या किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की याचिकाएं सम्मिलित नहीं हैं;
- (ञ) "विनियामक अनुपालन आवेदन " से पावर एक्सचेंजों या अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों या अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, जिसमें समझे गए अनुज्ञप्तिधारी भी हैं, या उत्पादन कंपनियों द्वारा आयोग द्वारा जारी किन्हीं विनियमों या आयोग के किसी आदेश के अधीन किसी भी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए फाइल की गई याचिकाएं अभिप्रेत हैं किन्तु इसमें सुसंगत विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित आवधिक रिपोर्ट या रिटर्न सम्मिलित नहीं है;
- (ट) "विनियामक कृत्य " से राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कानूनी कृत्यों, राष्ट्रीय भार प्रेषण नियम तथा आयोग द्वारा विरचित विनियमों या आयोग के किसी आदेश के निर्वहन में किए गए कृत्य अभिप्रेत और सम्मिलित हैं;
- (ठ) "पुनर्विलोकन याचिकाएं" से अधिनियम की धारा 94 (च) या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 या उसकी किसी पश्चातवर्ती अधिनियमिति के अधीन आयोग के आदेश या विनिश्चय या निदेशों का पुनर्विलोकन करने के लिए किसी व्यक्ति भी द्वारा फाइल की गई याचिकाएं सम्मिलित हैं;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिवक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और/या आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वही होगा जो अधिनियम या अन्य विनियमों में है।

3. टैरिफ के अवधारण हेतु आवेदन के लिए फीस.- (1) उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के टैरिफ के अवधारण हेतु आवेदन के साथ ऐसे उत्पादन केन्द्र या उसकी यूनिट की संस्थापित क्षमता के तत्स्थानी वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः 4000 ₹/मेगावाट/प्रतिवर्ष और 4400 ₹/मेगावाट/प्रतिवर्ष की दर पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी:

परंतु यह कि इस विनियम में विनिर्दिष्ट फीस उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई की संस्थापित क्षमता के तत्स्थानी टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय तथा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से पहले वर्ष के लिए संदत्त होगी:

परंतु यह और कि जहां उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी यूनिट की बाबत टैरिफ अवधि 2009-14 के लिए फीस केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 के अधीन पहले ही संदत्त की जा चुकी है वहां उत्पादन कंपनी इस विनियम में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार अतिशेष फीस का संदाय करेगी।

(2) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के लिए टैरिफ का अवधारण करने हेतु आवेदन के साथ वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति वर्ष दावा किए गए कुल वार्षिक पारेषण प्रभारों के क्रमशः 0.10% तथा 0.11% की दर पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी, जो न्यूनतम एक लाख के अधीन रहते हुए निकटतम एवं सौ रूपए तक गुणांकित की जाएगी:

परंतु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पहले ही संदत्त फीस तथा आयोग के आदेशों को जारी करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक पारेषण प्रभारों के अनुसार संदेय फीस के बीच अंतर के आधार पर अतिशेष फीस का संदाय करेगा:

परंतु यह और कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ का अवधारण के लिए आवेदन करते समय, पहले वर्ष के लिए इस विनियम में विनिर्दिष्ट दर पर तथा तत्पश्चात्, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक इस विनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक आधार पर फीस का संदाय कर सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसने 2009-14 की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 के आधार पर फीस संदत्त कर दी है, इस विनियम के अधीन यथा अवधारित अतिशेष फीस का संदाय करेगा:

4. टैरिफ को स्वीकार करने हेतु आवेदन के लिए फीस.- अधिनियम की धारा 63 के अधीन टैरिफ को स्वीकार करने हेतु फाइल किए गए आवेदन के साथ 25 लाख ₹ की फीस संलग्न की जाएगी।

5. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन के लिए फीस.- विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण या विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, विहित की जाए।

6. अन्य आवेदनों के लिए फीस.—(1) अन्य आवेदनों के लिए फीस निम्नानुसार प्रभारित की जाएगी:

(क) प्रकीर्ण आवेदन	:	3 लाख ₹ प्रति आवेदन
(ख) पुनर्विलोकन आवेदन	:	3 लाख ₹ प्रति आवेदन
(ग) अंतर्वर्ती आवेदन	:	1 लाख ₹ प्रति आवेदन
(घ) विनियामक अनुपालन आवेदन	:	50,000 ₹ प्रति आवेदन

(2) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी) द्वारा अपने विनियामक कृत्यों के निर्वहन में किए गए आवेदन के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी।

7. अनुज्ञप्ति फीस.—(1) अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें अधिनियम की धारा 14 के किसी भी परंतुक के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझा जाने वाला व्यक्ति भी है, वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों के क्रमशः प्रतिवर्ष 0.10% तथा 0.11% की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा, जो न्यूनतम 5 लाख रूपए के अधीन रहते हुए, निकटतम एक सौ रूपए तक गुणांकित की जाएगी:

परंतु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें समझा गया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं, प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों का संपरीक्षित विवरण तथा तत्स्थानी वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय अनुज्ञप्ति फीस के संबंध में लेखा परीक्षक से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक अनुज्ञप्ति फीस की अंतरीय रकम को जमा करेगा।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति जारी किए जाने पर अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की तारीख से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक प्रति वर्ष 5 लाख ₹ प्रति वर्ष की दर पर फीस का संदाय करेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जिसे आयोग द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें और सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा:

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	फीस प्रतिवर्ष (₹ लाख में)
1	प्रवर्ग-I (कोई सीमा नहीं)	40
2	प्रवर्ग-II (वार्षिक रूप से 1500 एमयू तक)	15
3	प्रवर्ग-III (वार्षिक रूप से 500 एमयू तक)	6
4	प्रवर्ग-IV (वार्षिक रूप से 100 एमयू तक)	3

(4) इस विनियम में विनिर्दिष्ट फीस अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त की जाएगी तथा तत्पश्चात्, इस विनियम के खंड (1) में परंतुक के अधीन रहते हुए, वार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक संदत्त की जाएगी।

8. पावर एक्सचेंजों के लिए वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस.- (1) प्रवृत्त किसी अन्य विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पावर एक्सचेंज प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार का संदाय करेंगे:

पावर एक्सचेंजों का वार्षिक टर्नओवर (मिलियन यूनिट में)	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार (₹ लाख में)
10,000 से ऊपर	52
5,000 से ऊपर तथा 10,000 तक	20
5,000 तक	6

(2) "वार्षिक टर्नओवर" की संगणना वित्तीय वर्ष में पावर एक्सचेंज पर सभी प्रकार के संव्यवहारों में सुनिश्चित किए गए कुल यूनिटों की संख्या पर विचार करते हुए की जाएगी तथा जिसे मिलियन यूनिट (एमयू) में अभिव्यक्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: यदि 10 एमयू का संव्यवहार सुनिश्चित किया जाता है, तो माना गया टर्नओवर 10 एमयू का होगा तथा यह उस संव्यवहार की विक्रेता मात्रा के रूप में 10 एमयू तथा क्रेता मात्रा के रूप में 10 एमयू का संचयी परिवर्धन नहीं होगा;

9. अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा प्रमाणित प्रति के लिए फीस.- (1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 या उसकी किसी पश्चातवर्ती अधिनियमिति के अधीन यथा अनुज्ञेय न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रतिदिन, जो तीन घंटे से अधिक नहीं होगा, 750 ₹ की फीस संदेय होगी।

(2) न्यायिक अभिलेखों के भाग रूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 20 ₹ फीस संदेय होगी।

10. प्रकीर्ण उपबंध.- (1) वर्ष 2013-14 के लिए इन विनियमों के विनियम 3 तथा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट फीस (उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ का अवधारण करने हेतु आवेदन तथा अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति फीस) वर्ष 2014-15 के लिए तथा तत्पश्चात जब तक आयोग द्वारा अन्यथा उपबधित न किया जाए, निरंतर लागू रहेगी।

(2) वर्ष के भाग के लिए फीस वर्ष के दौरान दिनों की संख्या के आनुपातिक आधार पर संदेय होगी तथा उसे निकटतम सौ रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

1182 40/12-2

11. विलंब संदाय अधिभार.- (1) इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट संदाय की देय तारीखों के पश्चात्, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए बकाया रकम पर एक प्रतिशत (1%) की दर पर विलंब संदाय अधिभार संदत्त किया जाएगा।

(2) विलंब संदाय अधिभार के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट संदाय की देय तारीखों से दो मास के बाद फीस के संदाय में विलंब किया जाता है, आयोग इन विनियमों के अननुपालन के लिए ऐसी कोई भी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जैसा वह समुचित समझे।

12. फीस के संदाय की पद्धति.- (1) सभी फीसों, जिसमें विलंब संदाय अधिभार भी हैं, दो लाख ₹ से अधिक की रकम के लिए रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) तथा दो लाख ₹ के समकक्ष या उससे कम के लिए नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफार्मर (एनईएफटी) के माध्यम से संदेय होगी।

(2) इन विनियमों के अनुसार फीस का संदाय करने वाला व्यक्ति, ऐसे संदाय करने की तारीख से तीन दिन के भीतर, इन विनियमों के प्ररूप- 1 के अनुसार आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई फीस के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

13. शिथिल करने की शक्ति – आयोग समुचित मामलों में, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

14. निरसन तथा व्यावृत्ति- (1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित समझा जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए आशयित कोई बात, इन विनियमों के अधीन की गई या आशयित समझी जाएगी।

राजीव बंसल, सचिव

**प्ररूप-1**

विशिष्टियां	
1. याचिकाकर्ता/आवेदक का नाम	
2. याचिकाकर्ता/आवेदक का पता	
3. विषय- वस्तु	
4. याचिका संख्या, यदि कोई हो,	
5. उत्पादन आस्तियों के ब्यौरे	
(क) उत्पादन केन्द्र/यूनिट	
(ख) मेगावाट में क्षमता	
(ग) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	
(घ) वह अवधि जिसके लिए फीस संदत्त की गई है	
(ङ) संदत्त फीस की रकम	
(च) अधिभार, यदि कोई हो	

6. पारेषण आस्तियों के ब्यौरे (क) पारेषण लाइन तथा उप-केन्द्र (ख) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (ग) वह अवधि, जिसके लिए फीस संदत्त की गई हो (घ) संदत्त फीस की रकम (ङ) अधिभार, यदि कोई हो	
7. टैरिफ को स्वीकार करने के संदत्त फीस (क) उत्पादन आस्ति (ख) पारेषण आस्ति	
8. अनुज्ञप्तिधारी के लिए आवेदन फीस (क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (ग) वह अवधि जिसके लिए फीस संदत्त की गई है (घ) संदत्त फीस की रकम	
9. प्रकीर्ण आवेदन के लिए संदत्त फीस	
10. अंतर्वर्ती आवेदन के लिए संदत्त फीस	
11. अनुपालन याचिका के लिए संदत्त फीस	
12. पुनर्विलोकन आवेदन के लिए संदत्त फीस	
13. अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति फीस (क) प्रवर्ग (ख) अवधि (ग) संदत्त फीस की रकम (घ) अधिभार, यदि कोई हो,	
14. पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति फीस (क) प्रत्याशित/वास्तविक पारेषण प्रभार (ख) अवधि (ग) पारेषण प्रभार की प्रतिशतता के रूप में संगणित फीस की रकम (घ) अधिभार, यदि कोई हो	
15. पावर एक्सचेंज के लिए वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार (क) अवधि (ख) टर्नओवर की रकम (ग) संदत्त फीस (घ) अधिभार, यदि कोई हो	
16. जमा की गई फीस के ब्यौरे (क) यूटीआर सं.	

(ख) विप्रेषण की तारीख	
(ग) विप्रेषित रकम	
टिप्पण: क्रम स. 1 से 3 तथा 16 अनिवार्य हैं, तथा शेष लागू होने पर भरे जा सकते हैं।	
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	
तारीख सहित हस्ताक्षरकर्ता	

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2012

No. L-1/106/2012-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

#### 1. Short title and commencement.-

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012.
- (2) These regulations shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> April, 2012.

#### 2. Definitions.-

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:-
  - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
  - (b) "Application for determination of tariff" means and includes the tariff petitions filed by generating companies or transmission licensees under Section 64 of the Act for determination of tariff in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 or any subsequent enactment thereof;
  - (c) "Application for adoption of tariff" means and includes the application filed by any person for adoption of tariff which has been discovered through the process of competitive bidding in accordance with Section 63 of the Act;
  - (d) "Annual Registration Charges" means the annual charges payable by the Power Exchanges for registration (including continuance of registration) in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010;
  - (e) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;



- (f) "Inter-State trading" for the purpose of these regulations means purchase of electricity by an inter-State trading licensee including a deemed trading licensee within the territory of one State for the purpose of re-sale within the territory of another State and includes electricity imported from any other country for re-sale thereof in any State in India;
- (g) "Inspection fee" means the fee charged for inspection of judicial records of the Commission in accordance with the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, as amended from time to time or any reenactment thereof;
- (h) "Interlocutory Application" or IA means an application filed in any petition or proceeding already instituted before the Commission but does not include an application for review;
- (i) "Miscellaneous Application" means an application or petition filed before the Commission under any of the provisions of the Act or Regulations framed by the Commission but does not include the petitions for determination or adoption of tariff or for grant of licence or for review of an order;
- (j) "Regulatory Compliance Application" means the petitions filed by the Power Exchanges or the inter-State trading licensees or inter-State transmission licensees including deemed licensees or generating companies for compliance of any requirement under any of the regulations issued by the Commission or any order of the Commission but does not include the periodic reports and returns as required under the relevant regulations;
- (k) "Regulatory Functions" means and includes the functions performed by National Load Despatch Centre (NLDC) and the Regional Load Despatch Centre (RLDC) in discharge of their statutory functions under the provisions of the Act, National Load Despatch Centre Rules and the Regulations framed by the Commission or by any order of the Commission; and
- (l) "Review Petition" means the petitions filed by any person under Section 94 (f) of the Act or Regulation 103 of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 or any subsequent enactment thereof for review of the order or decision or directions of the Commission.

(2) The words and expressions, used in these regulations and not defined herein but defined in the Act and/or other regulations issued by the Commission from time to time, shall have the meaning as assigned to them under the Act or other regulations.

1182 4/12-3

**3. Fee for Application for Determination of Tariff.-** (1) An application for determination of tariff of a generating station or a unit thereof, shall be accompanied by a fee payable at the rate of ₹4000/MW/annum and ₹4400/MW/annum for the years 2012-13 and 2013-14, respectively corresponding to the installed capacity of such generating station or unit thereof:

Provided that the fee specified in this regulation shall be paid for the first year, corresponding to the installed capacity of the generating station or a unit thereof, while making the application for determination of tariff and thereafter annually at the specified rates by 30th April of each year:

Provided further that where the fee for the tariff period 2009-14 in respect of the generating station or unit thereof has already been paid in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2008, the generating company shall pay the balance fee as per the rate specified in this regulation.

(2) An application for determination of tariff for inter-State transmission system or an element thereof shall be accompanied by a fee payable at the rate of 0.10% and 0.11% of the total annual transmission charges per annum claimed by the transmission licensee for the years 2012-13 and 2013-14, respectively, rounded off to the nearest one hundred rupees subject to a minimum of ₹100000/= (₹ One lakh only):

Provided that the transmission licensee shall pay the balance fee based on the difference between the fee already paid and the fee payable as per annual transmission charges determined by the Commission within a period of 30 days from the date of issue of orders of Commission:

Provided further that the transmission licensee may, while making the application for determination of tariff, pay the fee at the rate specified in this regulation for the first year and thereafter, on annual basis at the rates specified in this regulation by 30th April of each year:

Provided also that a transmission licensee who has already paid the fee for the period 2009-14 based on the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2008 shall pay the balance fee as determined under this regulation.

**4. Fee for Application for Adoption of Tariff.-** An application for adoption of tariff filed under Section 63 of the Act shall be accompanied by a fee of ₹25 lakh.

**5. Fee for Application for grant of Licence.-** An application for grant of licence for inter-State transmission of electricity or inter-State trading in electricity, shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Central Government from time to time.

**6. Fees for other Applications.-** (1) The fees for other applications shall be charged as under:

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| (a) Miscellaneous Application         | : ₹ 3 lakh per application   |
| (b) Review Application                | : ₹ 3 lakh per application   |
| (c) Interlocutory Application         | : ₹ 1 lakh per application   |
| (d) Regulatory Compliance Application | : ₹ 50,000/- per application |

(2) No application fee shall be payable by the National Load Despatch Centre (NLDC) and the Regional Load Despatch Centres (RLDC) for an application made in discharge of their regulatory functions.

**7. Licence Fee.-** (1) A transmission licensee for inter-State transmission, including a person deemed to be an inter-State transmission licensee under any of the provisos to Section 14 of the Act, shall pay licence fee at the rate of 0.10% and 0.11% per annum of the annual transmission charges for the years 2012-13 and 2013-14, respectively, rounded off to the nearest one hundred rupees subject to minimum of ₹ 5 lakh. (₹ five lakh only):

Provided that the transmission licensee including the deemed transmission licensee shall furnish by 30th June of each year the audited statement of annual transmission charges for the preceding financial year and a certificate from the auditor with regard to licence fee payable during the corresponding financial year and shall deposit the differential amount of licence fee, if any, by 30th June of each year.

(2) The transmission licensee on being issued with a licensee for the inter-State transmission of electricity shall pay the licence fee at the rate of ₹ 5.00 lakh per annum from the date of grant of licence upto the date of commercial operation of the inter-State transmission system or an element thereof.

(3) Any person who has been granted licence by the Commission for inter-State trading in electricity in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (procedure, terms and conditions grant of trading licence and related matters) Regulations, 2009 as amended from time to time shall pay annual licence fee at the rates specified hereunder:

Sr. No.	Category of licence	Fee per annum (₹ in lakh)
1	Category-I (No Limit)	40
2	Category-II (Upto 1500 MU annually)	15
3	Category-III (Upto 500 MU annually)	6
4	Category-IV (Upto 100 MU annually)	3

11829/12-4

(4) Fees specified in this regulation shall be paid within thirty days of the date of grant of licence and thereafter, annually by 30<sup>th</sup> April of each year subject to proviso to clause (1) of this regulation.

**8. Annual Registration Charge for Power Exchange.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other regulation in force, the Power exchanges shall pay annual registration charge by 30<sup>th</sup> April of each year at the rates specified hereunder:

Annual turnover of Power Exchange (in Million Units)	Annual Registration Charge (₹ in lakh)
Above 10,000	52
Above 5,000 and Up to 10,000	20
Up to 5,000	6

(2) "Annual Turnover" shall be calculated considering the total number of units cleared in all types of transactions on a Power Exchange in a financial year and shall be expressed in million units (MUs).

**Explanation-** If a transaction of 10 MUs is cleared, the turnover considered will be 10 MUs only and not a cumulative addition of 10 MUs as buy quantity and 10 MUs as sell quantity of that transaction;

**9. Fee for inspection of records and issue of certified copy.-** (1) A fee of ₹750/- per day for duration not exceeding three hours shall be payable for inspection of judicial records as permissible under the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 or any subsequent enactment thereof.

(2) A fee of ₹ 20/- per page shall be payable for issue of certified copies of the documents forming part of the judicial records.

**10. Miscellaneous provisions. -** (1) The fees specified in Regulations 3 and 7 of these regulations (application fee for determination of generation and transmission tariff and licence fee for inter-state transmission) for the year 2013-14 shall continue to be applicable for the year 2014-15 and thereafter unless otherwise specified by the Commission.

(2) Fee for part of the year shall be payable on *pro rata* basis to the number of days during the year and shall be rounded off to the nearest hundred rupees.

**11. Late payment surcharge.-** (1) Late payment surcharge at the rate of one per centum (1%) shall be paid on the outstanding amount for each month or part thereof after the due dates of payment as specified in these regulations.

(2) Without prejudice to the liability for late payment surcharge, the Commission may take any other action as may be considered appropriate for non-compliance of these regulations if payment of fees is delayed beyond two months from the due dates of payment as specified in these regulations.

**12. Mode of payment of fees.-** (1) All fees, including late payment surcharge, shall be payable through Real Time Gross Settlement (RTGS) for amount above Rupees two lakh and through National Electronic Fund Transfer (NEFT) for amount equivalent to or below Rupees two lakh.

(2) Persons making payment of fees in accordance with these regulations shall submit the details of remittance through RTGS/NEFT as per the **Form-I** to these regulations, within three days of making such payment.

**13. Power to relax.-** The Commission may, in appropriate cases and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations.

**14. Repeal and saving.-** (1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2008 shall stand repealed from the date of commencement of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

RAJIV BANSAL, Secy.

**Form-I**

<b>Particulars</b>	
1. Name of the Petitioner/Applicant	
2. Address of the Petitioner/Applicant	
3. Subject Matter	
4. Petition No., if any	
5. Details of generation assets	
(a) generating station/units	
(b) Capacity in MW	
(c) Date of commercial operation	
(d) Period for which fee paid	
(e) Amount of fee paid	
(f) Surcharge, if any	

6. Details of transmission assets (a) Transmission line and sub-stations (b) Date of commercial operation (c) Period for which fee paid (d) Amount of fee paid (g) Surcharge, if any	
7. Fee paid for Adoption of tariff for (a) Generation asset (b) Transmission asset	
8. Application fee for licence (a) Trading licence (b) Transmission licence (c) Period for which paid (d) Amount of fee paid	
9. Fees paid for Miscellaneous Application	
10. Fees paid for Interlocutory Application	
11. Fee paid for Regulatory Compliance petition	
12. Fee paid for Review Application	
13. Licence fee for inter-State Trading (a) Category (b) Period (c) Amount of fee paid (d) Surcharge, if any	
14. Licence fee for inter-State Transmission (a) Expected/Actual transmission charge (b) Period (c) Amount of fee calculated as a percentage of transmission charge. (d) Surcharge, if any	
15. Annual Registration Charge for Power Exchange (a) Period (b) Amount of turnover (c) Fee paid (d) Surcharge, if any	
16. Details of fee remitted (a) UTR No. (b) Date of remittance (c) Amount remitted	
<b>Note: While Sl. Nos. 1 to 3 and 16 are compulsory, the rest may be filled up as applicable</b>	
<b>Signature of the authorized signatory with date</b>	